अस्पृश्यता निवारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

4398. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अस्पृश्यता निवारण हेतु सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में जन आन्दोलन चला कर सिर पर मैला ढोने की इस प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और इस संबंध में निर्धारित उद्देश्य को कब तक प्राप्त कर लेने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं, तथापि चालू वर्ष के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 6.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) तथा (ग) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना भारत सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना में एक सर्वेक्षण के माध्यम से सफाई कर्मचारियों उनके आश्रितों तथा वैकल्पिक व्यवसायों के लिए उनके कौशल की पहचान करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अभिज्ञात सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को अभिज्ञात व्यवसायों में एक माह से लेकर छ: माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह 150/- रु. की वृत्तिका सहित प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह 500/- रु. का औसत व्यय होता है। प्रशिक्षण के बाद सफाई कर्मचारियों का विभिन्न ट्रेडों एवं व्यवसायों में पुनर्वास किया जाता है। इस योजना में 50,000/- रु. तक मूल्य की परियोजनाओं को धनराशि दी जाती है जिसकी 50% राशि राज सहायता होती है जो अधिकतम 10,000 रू. तक हो सकती है। 15% सीमान्त राशि ऋण अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 4% ब्याज दर पर तथा शेष राशि बैंकों के ऋण के रूप में होती है। राज सहायता तथा प्रशिक्षण संबंधी व्यय को कल्याण मंत्रालय द्वारा 100% पूरा किया जाता है। सीमान्त धनराशि ऋण संबंधी व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 49:51 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 464 करोड़ रू./- आवंटित किये गये हैं ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य को शुरू करने संबंधी व्यय को वहन कर सके।

शहरी विकास मंत्रालय सफाई कर्मचारियों की मुक्ति हेतु विद्यमान शुष्क शौचालयों को निम्न लागत वाली जल प्रवाहयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने तथा जहां कहीं ये विद्यमान न हो, वहां नये शौचालयों के निर्माणार्थ निम्न लागत स्वच्छता नामक एक अन्य केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है। इस प्रक्रिया से सर पर मैला ढोने के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों को निश्चित रूप से मुक्ति मिल सकेगी। सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास पर विशेष बल देते हुए हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को समाप्त करने हेतु उपाय सुझाने के वास्ते योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान किया जाता है कि 1989 में शुष्क शौचालयों की कुल संख्या 76.4 लाख तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या 4 लाख थी। समेकित योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से 500 शहरों को शामिल करने का लक्ष्य है और यह योजना शहरी आवास निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन तथा वित्त-पोषण पद्धति का अनुसरण करते हुए हुडको के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की एक ही समय राजसहायता तथा ऋण मिश्रित रूप से प्रदान करते हुए चलायी जा रही है:-

श्रेणी	राज सहायता	ऋण	लाभग्राही अंशदान
ई.डब्लयू.एस.	45%	50%	5%
एल.आई.जी.	25%	60%	15%
एम.आई.जी./ एच.आई.जी.	शून्य	75%	25%

Reports on granting relief to Handicapped persons

4399. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Mini.slcr of WELFARE be pleased lo state:

(a) whether Government have received comprehensive reports on the question of granting certain reliefs to handicapped persons cither working with various PSUs or in employment with certain PSUs whose complaints were forwarded by his Ministry during the past three years or so;

(b) whether it is a fact that administrative Ministries have not taken proper action on the suggestions put forward by his Ministry;

(c) whether any further action would be initiated so as to grant relief to handicapped persons; and

(d) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir.

(b) to (d) The complaints received from the handicapped person working is various PSUs

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश और इसके जिलों में 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लोगों की महिला-पुरूष आधार पर साक्षरता दर

क्रम सं.	जिला का नाम	अनुसूचित जाति*			अनुसूचित जनजाति*		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
	मध्य प्रदेश	50.51	18.11	35.08	32.16	10.73	21.54
1.	मोरेना	50.29	9.12	32.03	12.11	1.43	7.02
2.	भिंड	57.41	14.74	38.65	44.38	14.14	30.99
3.	ग्वालियर	61.07	23.27	44.19	27.57	10.07	19.45
4.	दतिया	51.44	10.75	33.07	18.49	6.60	13.05
5.	शिवपुरी	37.60	7.04	23.78	11.28	1.55	6.57
6.	गुना	36.26	7.61	23.02	11.20	1.94	6.79
7.	टीकमगढ़	41.21	11.99	27.81	19.10	6.40	13.03
8.	छतरपुर	32.40	8.08	21.28	15.05	3.41	9.54
9.	पन्ना	28.48	7.18	18.56	17.75	4.36	11.26
10.	सागर	56.15	23.50	41.12	29.38	9.93	20.07
11.	दमोह	46.76	17.13	32.87	32.67	10.51	21.89
12.	सतना	40.72	9.84	25.92	21.37	3.89	12.96
13.	रेवा	35.38	6.95	21.77	22.98	3.88	13.89
14.	शहडोल	43.35	12.20	28.37	28.44	6.32	17.55
15.	सिधी	24.80	3.38	14.55	21.07	3.23	12.49
16.	मन्दसौर	54.45	14.56	35.12	26.11	5.61	16.29
17.	रतलाम	47.91	15.46	32.20	20.54	4.50	12.66
18.	उज्जैन	44.67	13.39	29.64	38.41	11.69	25.69
19.	शाजापुर	37.43	6.97	22.93	39.08	8.94	24.90
20.	देवास	47.28	11.95	30.35	24.53	6.11	15.53
21.	झबुआ	33.48	13.27	23.61	16.95	4.68	10.87
22.	धार	49.47	13.97	32.33	24.75	7.38	16.17
23.	इन्दौर	64.00	32.45	48.99	35.39	15.55	26.04
24.	पश्चिम निमार	48.55	15.24	32.43	20.94	7.05	14.12
25.	पूर्व निमार	49.49	19.12	34.99	26.01	6.31	16.37
26.	राजगढ़	32.67	6.15	19.97	32.96	6.65	20.35
27.	विदिशा	40.34	13.46	28.01	20.41	5.72	13.43
28.	भोपाल	56.77	28.82	43.65	52.10	35.42	44.36
29.	सीहोरे	42.54	9.95	27.17	25.52	6.68	16.50
30.	रायसेन	36.86	12.54	25.63	22.95	5.99	14.86
31.	बेतुल	67.40	38.35	53.28	26.09	8.35	17.21
32.	होशंगाबाद	58.20	23.99	42.01	30.44	10.03	20.63
33.	जबलपुर	62.67	30.27	47.17	39.41	13.33	26.64
34.	निरसिम्हापुर	58.80	27.77	44.03	42.63	18.40	30.79
35.	मांडला	69.77	32.13	51.55	41.61	13.01	27.18
36.	छिन्दबाड़ा	64.44	35.81	50.63	31.51	15.71	23.62

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	सूनी	65.25	34.53	50.30	38.92	14.42	26.59
38.	बालाघाट	79.15	47.03	62.83	48.90	21.58	35.06
39.	सुरौजा	36.81	12.93	25.17	29.62	8.98	19.45
40.	बिलासपुर	50.43	18.82	39.39	46.42	13.44	29.89
41.	रायगढ़	50.77	17.54	34.09	46.13	19.85	32.82
42.	राजनंदगांव	60.68	27.65	43.98	51.83	20.15	35.60
43.	दुर्ग	67.20	31.50	49.51	68.71	32.94	50.64
44.	रायपुर	55.90	18.93	37.39	54.83	17.24	35.74
45.	बस्तर	39.14	16.56	27.80	23.82	7.23	15.45

पिछड़े वर्गों के लिए अवसर

4396. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आई.ए.एस. जैसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित सीमित अवसरों के प्रावधान को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) मंत्रालय अभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध विविध रियायतों / छूटों को, जिनमें प्रयास की अनुमत संख्या भी शामिल है। अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने की सीमा और आवश्यकता की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Cases Registered Under Atrocities Act

4397. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a)the number of cases registered under the Atrocities Act from the year 1988 to 1993;

(b)whether all the registered cases have been disposed of without action;

(c)if not, the stage at which the cases are at present; and

(d) the number of special judges appointed under the Atrocities Act in each State?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 came into force w.e.f. 30th January, 1990. Therefore the question of furnish- ing information for the year 1988 and 1989 does not arise. This Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. The details about the number of cases registered under the Act during 1990 and its disposal are given in the Statement *(see* below). Similar details for the year 1991,1992 and 1993 are being cbllected and will be laid on the Table of the House.

(d) The State Government of Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland have not specified any Special Court as the atrocity cases reported in these States are negligible. This Act does not extend to Jammu and Kashmir. All the remaining States Govts, and U.T. Administrations have specified the existing courts of Sessions as the Special Courts for the trial of offences under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The State Government of Rajasthan and Andhra Pradesh have also set up sixteen and three exclusive Special Courts respectively for trying such cases.